



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23012026-269540
CG-DL-E-23012026-269540

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 274]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 20, 2026/पौष 30, 1947

No. 274]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 20, 2026/PAUSHA 30, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2026

का.आ. 302(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 के अनुसरण में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 135(अ), तारीख 7 जनवरी, 2025 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त अधिसूचना" कहा गया है), में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. उक्त अधिसूचना के पैरा 1 में, क्रम संख्या (iii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:—

(iii) सचिव या विशेष सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, नवा रायपुर -सदस्य सचिव",
अटल नगर

2. उक्त अधिसूचना के पैरा 4 में,—

(i) "राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति-1" शीर्ष के अधीन, क्रम संख्या (vi) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :-

- (vi) विशेष सचिव या संयुक्त सचिव या उप सचिव, आवास एवं पर्यावरण -सदस्य सचिव।"
विभाग या सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड, छत्तीसगढ़
सरकार, नवा रायपुर अटल नगर

(ii) "राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति-2" शीर्ष के अधीन, क्रम संख्या (vi) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:-

- (vi) विशेष सचिव या संयुक्त सचिव या उप सचिव, आवास एवं पर्यावरण -सदस्य सचिव।"
विभाग या सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड, छत्तीसगढ़
सरकार, नवा रायपुर अटल नगर

(iii) "राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति-3" शीर्ष के अधीन, क्रम संख्या (vi) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:-

- (vi) विशेष सचिव या संयुक्त सचिव या उप सचिव, आवास एवं पर्यावरण -सदस्य सचिव।"
विभाग या सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड, छत्तीसगढ़
सरकार, नवा रायपुर अटल नगर

3. उक्त अधिसूचना के पैरा 5 में, सारणी के अधीन, क्रम संख्या 3 के सामने, स्तंभ (3) में, प्रविष्टि "सुकमा" के पश्चात, प्रविष्टि "रायपुर" अंतःस्थापित की जाएगी।

[फा.सं.जे-11013/41/2007-आई.ए.II (आई)]

रजत अग्रवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण :- मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 135(अ), तारीख 7 जनवरी, 2025 के अधीन प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2026

S.O.302.(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub -section (ii), *vide* number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, the Central Government hereby makes amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub -section (ii), *vide* number S.O. 135 (E), dated the 7th January, 2025(herein after referred to as said notification), namely: —

1. In the said notification, in paragraph 1, for serial number (iii) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely: —

(iii) Secretary or Special Secretary, Housing and Environment Department, Nava Raipur Atal Nagar -Member Secretary.”,

2. In the said notification, in paragraph 4,-

(i) under the heading, ‘State Level Expert Appraisal Committee-1’, for serial number (vi) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely: —

(vi) Special Secretary or Joint Secretary or Deputy Secretary, Housing and Environment Department or Member Secretary, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Government of Chhattisgarh, Nava Raipur Atal Nagar -Member Secretary.”,

(ii) under the heading, ‘State Level Expert Appraisal Committee-2’, for serial number (vi) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely: —

(vi) Special Secretary or Joint Secretary or Deputy Secretary, Housing and Environment Department or Member Secretary, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Government of Chhattisgarh, Nava Raipur Atal Nagar -Member Secretary.”,

(iii) under the heading, ‘State Level Expert Appraisal Committee-3’, for serial number (vi) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely: —

(vi) Special Secretary or Joint Secretary or Deputy Secretary, Housing and Environment Department or Member Secretary, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Government of Chhattisgarh, Nava Raipur Atal Nagar -Member Secretary.”,

3. In the said notification, in paragraph 5, under the table, against the sl. No.3, in column (3), after entry “Sukma”, the entry “Raipur” shall be inserted.

[F.No. J-11013/41/2007-IA.II(I)]

RAJAT AGARWAL, Jt. Secy.

Note. The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 135 (E), dated the 07th January, 2025.